न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 27 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गिश्रा पुत्र भगवाना जाति पुरोहित निवासी पायलाकला तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.हरमल पुत्र राजा जाति पुरोहित निवासी भलखाड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
2.तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 347 / 2021 बअनवान हरमल बनाम गिश्रा में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री जोगराज पोटलिया रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 03.06.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा भलखाड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर खसरा संख्या 116 रकबा 14.7319 हैक्टयर का आया हुआ है। खसरा संख्या 114 मे से मेरी खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 116 में आने जाने हेतु का कोई रास्ता नहीं है। खसरा संख्या 116 में विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 114 मे से होकर 30 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जावे। उक्त प्रार्थना—पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही प्रशासन गांवों के संग अभियान मे ही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारी क्षेत्र से बहार जाकर अविधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सम्मन व्यक्तिगत तामील नहीं करवाये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त प्रार्थना—पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही प्रशासन गांवों के संग अभियान मे ही कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में अपने अधिकारी क्षेत्र से बहार जाकर अविधि सम्मत निर्णय पारित किया गया। रेस्पोडेंट / प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई है वह मौका पर जाकर नहीं बनाई गई है एवं तहसीलदार ने अपीलांट को बिना सूचित किये एवं बिना मौके पर जाये कार्यालय में बैठे–बैठे उतरदाता के प्रभाव में आकर बनाई जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। आदेशिका दिनांक 09.12.2021 को पत्रावली 14.01.2022 को फोलोअप शिवर पंचायत समिति सिणधरी भवन मे पेश होना अंकित किया गया। लेकिन दिनांक 09.12.2021 को फालोअप शिवर का कार्यक्रम तय/निर्धारित नहीं किया हुआ था। जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही बाद में पीछली तारीखों में की गई है। जबकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 05.01.2022 को प्रशासन गांवों के संग अभियान को आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–

RRT 2018(2) Page 1193

RRT 2019(2) Page 1507

निगरानी/टीए/4513/2021/जयुपर

निगरानी/टीए/7550/2017/गंगानगर

निगरानी/टीए/1673/2020/झुझुंनू

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की वहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये जिसकी कंफर्म डिलेवरी की रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। मौका रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व भी अपीलांट को नोटिस दिया गया जो अपीलांट ने लेने से इंकार किया। अपीलांट के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर सम्यक तामील की रिपोर्ट होने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं रहा। हाजा न्यायालय द्वारा भी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। मौका फर्द दिनांक 21.12.2021 में स्पष्ट किया गया है कि "ग्राम भलखाड़ी के खेत खसरा नं. 114 से खेत खसरा नं. 116 तक जाने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है जबकि खसरा नं. 116 तक पहुंचने हेतु मौके पर कोई कटान रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है उक्त खसरे को मेगा हाइवे से जोड़ने हेतु खसरा नं. 114 मे होते हुए खसरा नं. 116 में पहुंचने का एक मात्र जरिया है।" अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 347/2021 बअनवान हरमल बनाम मिश्रा में पारित आदेश दिनांक 14.01.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 03.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर